न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 41 / 2020

अपीलांट– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स–**

भवानीशंकर पुत्र मांगीलाल
जाति सोनी निवासी सुन्दर
नगर चौहटन तहसील
चौहटन जिला बाड़मेर

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. दीपक कुमार गोद पुत्र बींजाराम
3. गोविन्दराम पुत्र अर्जुन
   जाति सोनी निवासी सुनारों का बास
   बिशाला
4. किशनलाल पुत्र मांगीलाल
5. रमेश पुत्र मांगीलाल
6. कमलादेवी पत्नी मांगीलाल
   जाति सोनी निवासी सुन्दर नगर, चौहटन
7. ओमप्रकाश पुत्र कलाराम
   जाति सोनी निवासी सुनारों का बास,
   बिशाला हाल इन्दौर मध्यप्रदेश
8. अशोक कुमार पुत्र कलाराम
9. सुरेश कुमार पुत्र कलाराम
   जाति सोनी निवासी गायत्री चौक, बाड़मेर
10. घनश्यामदास पुत्र कलाराम
    जाति सोनी निवासी गायत्री चौक, बाड़मेर
11. शांतिदेवी पत्नी कलाराम
    जाति सोनी निवासी सुनारों का वास,
    बिशाला हाल निवासी मरूधर गारमेंट 10
    खजुरी बाजार, 3फ्लोर, प्रभात प्लाजा के
    सामने, राजबाड़ा, इन्दौर–2

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा **75** राज[illegible]भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 262 दिनांक 30.0[illegible].08 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री पन्नाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री केशाराम चौधरी, रेस्पोडेंट सं. 2 से 11 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 04.02.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम आदर्श बस्ती बिशाला के नामान्तरकरण सं. 262 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 03.06.2008 के विरूद्ध दिनांक 24.09.2020 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा आदर्श बस्ती बिशाला के खसरा नम्बर 1098/948, 1100/948 रकबा क्रमशः 28–04, 54–13 बीघा भूमि बींजाराम, गोविन्दराम पि0 अर्जन 1/2, मांगीलाल, कलाराम पि0 हीरा 1/2 कौम सुनार साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार मांगीलाल व कलाराम के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 262 में मृतक मांगीलाल व कलाराम के वारीस के रूप में किशनलाल, रमेश अनिल पि0 मांगीलाल, कमलादेवी पत्नी मांगीलाल, ओमप्रकाश, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, घनश्यामदास पि0 कलाराम शांतिदेवी बेवा कलाराम 1/2 कौम सुनार सा0 देह खातेदारान के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 03.06.2008 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 24.09.2020 को प्रस्तुत की गई हैं। तथा अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा आदर्श बस्ती बिशाला के खसरा नम्बर 1098 / 948, 1100 / 948 रकबा क्रमशः 28–04, 54–13 बीघा भूमि बींजाराम, गोविन्दराम पि0 अर्जन 1 / 2, मांगीलाल, कलाराम पि0 हीरा 1 / 2 कौम सुनार साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार मांगीलाल व कलाराम के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 262 में मृतक मांगीलाल व कलाराम के वारीस के रूप में किशनलाल, रमेश अनिल पि0 मांगीलाल, कमलादेवी पत्नी मांगीलाल, ओमप्रकाश, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, घनश्यामदास पि0 कलाराम शांतिदेवी बेवा कलाराम 1 / 2 कौम सुनार सा0 देह खातेदारान के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम भवानी शंकर के स्थान पर अनिल गलत दर्ज किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बारे में वारीसान की जांच एवं उन्हे नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.09.2020 को हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि के लिये केसीसी लेने के लिए जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त अशुद्ध नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर यह अपील जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलांट की जांच एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया हैं जो विधि विरूद्ध होने से इसके विरूद्ध इस अपील के लिये मयाद बाधक नहीं है इसके बावजूद भी विधि की आवश्यकता अनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं आधार पर अपीलांट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

यह अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त करते हुए विवादित भूमि में अपीलांट का वास्तविक नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम अनिल के स्थान पर भवानीशंकर सहीं अंकित किये जाने की ताईद की गई।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा आदर्श बस्ती बिशाला के खसरा नम्बर 1098/948, 1100/948 रकबा क्रमशः 28–04, 54–13 बीघा भूमि बींजाराम, गोविन्दराम पि0 अर्जन 1/2, मांगीलाल, कलाराम पि0 हीरा 1/2 कौम सुनार साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार मांगीलाल व कलाराम के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 262 में मृतक मांगीलाल व कलाराम के वारीस के रूप में किशनलाल, रमेश अनिल पि0 मांगीलाल, कमलादेवी पत्नी मांगीलाल, ओमप्रकाश, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, घनश्यामदास पि0 कलाराम शांतिदेवी बेवा कलाराम 1/2 कौम सुनार सा0 देह खातेदारान के नाम दर्ज किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 03.06.2008 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अपीलांट का कथन हैं कि उसका वास्तविक नाम भवानीशंकर हैं जो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना दस्तावेजी जांच एवं पूछताछ के अपनी मनमर्जी से अनिल लिख दिया हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में [illegible]द्ध नाम अंकित हो जाने से उन्हे सरकारी योजनाओं [illegible] कठिनाई आ रही हैं। अपीलांट ने अपनी पहचान के दस्ता[illegible] भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट स्व0 मांगीलाल के वास्तविक वारीस पुत्र हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारीसान की जांच एवं अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं, जो त्रुटिपूर्ण होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जिससे उन्हे उक्त नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं होने का कथन सद्‌भाविक प्रतीत होता हैं तथा इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा आदर्श बस्ती बिशाला के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 262 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक मांगीलाल के वास्तविक वारीसान में अपीलांट के वास्तविक नाम की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर